




उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय
प्रथम तल आफिस कामपलेक्स रोक्टर-9
वृन्दावन योजना लखनऊ।



पत्रांक /स0प्र0 वृन्दावन/कब्जा पत्र/ दिनांक

खण्ड सं

अधिसारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-11
स0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
वृन्दावन योजना लखनऊ।

विषय:- वृन्दावन योजना, लखनऊ में नीलगिरि एप्लेय 2BHK फ्लैट स10 «ply_no» का भौतिक कब्जा देने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया कृपयाकत फ्लैट में 3।सारावजगमक्रछ।डम्क्रक्रः त्रिजीमतम्नेइंदकक्रक्रछ।डम्क्रक्रः को फ्लैट स10 «ply_no» प्रयोग शुभ्रा 7 इस फ्लैट में सम्बन्धित आवश्यक विलेखों का निष्पादन किया जा चुका है।

अतः कृपया कृपया फ्लैट का भौतिक कब्जा सम्बन्धित आवटी को एक माह में लेने की व्यवस्था करने एवं कब्जा देने के उपरान्त वृन्दावन की प्रति भव्यगीघ करने का कष्ट करे। यदि आवटी द्वारा निश्चित तिथि के अन्दर फ्लैट का कब्जा नहीं लिया जाता है तो निर्मातास्थित दर से रख-रखाव (विलम्ब शुल्क) कब्जा की तिथि तक या आवटी से लेना निर्धारित है।

1. फ्लैट दर 2.00 रु. प्रतिदिन की दर से।

2. फ्लैट का अन्ततत करमा।

a. Super Area-«Print_super_area»

b. Built Up Area-«Print_Builtup_a_area»

एक माह के उपरान्त कब्जा ले लेने की प्रथा में सम्बन्धित अधिसारी अभियन्ता द्वारा अधोदरत शरी का पत्रवा करवा विभा और तनुनुसार अधिन बधानिक ब्यावकीकी को जायेगी।

अन्तततत-आवटी का प्रमाणित फाल।

नगर-आवटी से विलम्ब शुल्क 2.00 रु. प्रतिदिन की दर से लगाय नशानत बैंक सातथ सिटी रायबरेली राड लखनऊ के फालत को 2।सारावजगमक्रक्र।डम्क्रक्रः में जमा करीके दखकर कब्जा देने की व्यवस्था करने का कष्ट करे।

सम्पत्ति प्रबन्धक
कृता आजात आयुक्त

पत्र सं /स0प्र0/ कार्यालय

प्रतिबन्धि 3।सारावजगमक्रछ।डम्क्रक्रः त्रिजीमतम्नेइंदकक्रक्रछ।डम्क्रक्रः निधारी क्रंककतमे। ज इस अवका से प्रेषित कि कृपया कृपया फ्लैट का भौतिक कब्जा अधिसारी अभियन्ता निर्माण खण्ड-11 से निर्धारित तिथि के अन्दर अवका प्रका करे। कब्जा को प्रेषित माह से आवटी को (रख-रखाव) शु 2.00 रु. (super_charges) 00 प्रति माह में विजया बैंक, संयतत-6 वृन्दावन योजना लखनऊ क खाता नं0 2।सारावजगमक्रक्र।डम्क्रक्रः में निश्चित जमा करवा रहना होगा।

विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख आज दिनांक _____ वर्ष _____ की उमिर प्रदेश
जिसका एक विक्रय परिषद अधिनियम 1995 का अधीन पारित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास
परिषद जिसका प्रधान कार्यालय लखनऊ में है। जिसे एतद् पश्चात् "परिषद" कहा गया है जिसका
कार्य उसके अध्याय अनुसूचि के माध्यम से होता है और जिस पद का तात्पर्य और जिसमें जब तक
कि कोई बात प्रयोग के प्रतिकूल न हो, उक्त संघर्ष इसका पर्यारम्भ उत्तराधिकारी और अभ्यर्तित
है और सम्मिलित है।

एक पक्ष और पारसवर्गम (अधिनियम) प्रजिगतभोगदकत्राछ अथात्रः-
निवासी-ककतमे- जिसका एतद्पश्चात् पञ्जीकृत इच्छुक केंद्रा कहा गया है और जिस पद का
कार्य और जिस में जब तक कि कोई बात प्रयोग के प्रतिकूल न हो, उक्त पञ्जीकृत इच्छुक केंद्रा,
उक्त उत्तराधिकारी/विक्रय प्रजिनिधि निष्पादक और प्रशासक है और सम्मिलित है दूसरे पक्ष के
द्वारा किया गया, यह धरणीय करता है कि-

यूनिट लक्ष्य परिषद यूनिट की रचना है और जयम बाहर/नगर लखनऊ तहसील लखनऊ
जिसका लक्ष्य में युवावस्था काला 4 मरकत मुहल्ल के संकर-17 में निर्मित नीलगिरी
एकलक्ष 2BHK का फ्लैट संख्या «pty_no» का कुल मूल्य है और यूनिट उक्त परिषद ने रु०
«total_amt».00 (रु० 'जवजंसत्रांउजत्रांइकवत्राउमः मात्र) जिसका अर्ध रु०
«Half_amt».00 (रु० 'भसत्रांउजत्रांइकवत्राउमः मात्र) होता है, के प्रतिफल स्वरूप
जिसका संख्या (अर्ध «pty_no» का, जिसका पूरा विक्रय और जिसकी मात्र इस विलेख में
उक्त संख्या "क" में सम्मिलित है।

(जिस एतद्पश्चात् उक्त संख्या का रूप में विविध किया गया है) केंद्रों का प्रयोग किया
है और यूनिट इच्छुक केंद्रा उक्त संख्या की परिषद से उक्त मूल्य पर और इस विलेख में विहित
नियमों और शर्तों के अधीन कर काल के लिए प्राप्त है अर्थात् रु० «total_amt».00 (रु०
'जवजंसत्रांउजत्रांइकवत्राउमः मात्र) की धनराशि के प्रति फलस्वरूप एतद्द्वारा उक्त
सम्पत्ति अर्थात् फ्लैट संख्या «pty_no» केंद्रा का पुरो निम्नोपदिष्ट नियमों और शर्तों के अधीन
उक्त दूर काल के लिए अर्थात् और सम्मिलित करता है:-

(1) परिषद का उक्त सम्पत्ति का यह एक प्रयोजन के अनुसरण में जिसके लिए परिषद का
गठन किया गया था, एतद्द्वारा विक्रय किया गया हो, हस्तान्तरण करने का पूर्ण अधिकार और स्पष्ट
प्राधिकार है।

(2) एतद्द्वारा हस्तान्तरित उक्त सम्पत्ति भारत से मुक्त है।

(3) उक्त सम्पत्ति का पारसवर्ग केंद्रा इच्छुक केंद्रा को प्रदत्त किया जाना है।

(4) इच्छुक केंद्रा उक्त सम्पत्ति के परिषद द्वारा या उक्त परिषद के अधीन दावा करने वाले
किसी दावा का अनुसरण उक्त उक्त अधीन उक्त दावा के विना नहीं करेगा और उसका
अन्वय होगा।

अनुसूची 'क'

प्रतिफल की धारणाएं (आर. में)

मूल्य रु० «total_amt» 00

स्टाम्प फीस रु० «stamp» 00

उक्त फॉर्मेट को कुल मूल्य रु० «total_amt» 00 व्याज/दण्ड व्याज रु० «ntrest_amt» 00 कुल रु० «total_dep» 00 आर.में द्वारा प्रत्येक का नुस्तान किया गया है।

नोट-(1) शासनादेश संख्या/दि 5-2756/11-2008-500(115)-2007 दिनांक 30.06.2008 एवं शासनादेश संख्या/दि 772/स्टाम्प दिमिक-2015 दिनांक 15.12.2015 के अन्तर्गत अमरावती/राजमन्दावरा/राज. को दर से ई स्टैम्प प्रमाण पत्र नं० «e_stamp_no».DATE:-«Print_e_stamp_dt_date» रु० «stamp» 00 के ई० स्टाम्प फीस पर विवेक विवेक विवेकित कि. कर रहा है।

नोट-(2) आर्गिडिफ फॉर्मेट संख्या «pty_no» का निर्गत पत्र सं० «dispatch_no» दिनांक «Print_disp_date» आर.में मूल्य के अनुसार प्रवेश शासन कर एवं नियन्त्रण अंशान-7, आदेश संख्या-13/राजमन्दावरा/राज. दि. 7-440/11-2015-700(111) /13 लखनऊ दिनांक 30, मार्च, 2015 के अन्तर्गत नुस्तर विवेक विवेक एक वर्ग के अन्दर निर्धारित किया जा रहा है।

कुल मूल्य रु० «total_amt» 00 व्याज/दण्ड व्याज रु० «ntrest_amt» 00 कुल रु० «total_dep» 00

म निर्गत संख्या/दि संख्या का फॉर्म संख्या--«pty_no»

विवेक की संख्या संख्या की अनुसूची

- 1- मूल्य का प्रकार (रु०) फॉर्मेट
- 2- माह/ला/घात खरिका/वाड, लखनऊ
- 3- स्लाक «block»
- 4- प्रकार «type»
- 5- समाप्ति का विवरण संख्या संख्या-- «pty_no»
- 6- फॉर्मेट का निर्गत क्षेत्र «Print_Bultup_a_area» वर्ग मीटर
- 7- फॉर्मेट का सुपर एरिया «Print_super_area» वर्ग मीटर
- 8- फॉर्मेट का प्रकार आर.में फॉर्मेट
- 9- कुल क्षेत्रफल «Print_super_area» वर्ग मीटर
- 10- कुल क्षेत्र क्षेत्रफल «Print_Bultup_a_area» वर्ग मीटर
- 11- टोटल निर्गत
- 12- फॉर्मेट की धारणाएं रु० «total_dep» 00
- 13- मूल्य रु० «total_amt» 00
- 14- आर.में संख्या की फॉर्मेट संख्या
 - 1- उत्तरी--«north_pty_no»
 - 2- दक्षिण--«south_pty_no»
 - 3- पूर्वी--«east_pty_no»
 - 4- पश्चिमी--«west_pty_no»

6

अनुपूर्वी-ख

(क्रेता द्वारा किये गये भुगतान का विवरण)

निसके साक्ष्य में श्री दिलीप कुमार शुक्ला, सम्पत्ति प्रबन्धक ने परिषद के लिए और उसकी ओर से और द्वारा सवजनमवार 2020 तक आशयित «pty_no» क्रेता ने स्वयं साक्षीदार के रूप में दस्तावेज और समर्पित की क्रेता प्रभार या प्रपीडन के बिना साक्षियों की उपस्थिति में एचएड द्वारा अपने-अपने साक्ष्य दिए।

क्रेता के हस्ताक्षर	परिषद की ओर से एवं उसके लिए अग्रिम अधिकारी
1- क्रेता द्वारा	परिषद द्वारा
नाम	नाम
पता	पता
2- साक्षी द्वारा	2- साक्षी द्वारा
नाम	नाम
पता	पता